न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी: अशोक सांगवा आर.ए.एस

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्या:-04 / 2025 (खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के-2552)

राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

-प्रार्थी

बनाम

श्री भरतदास स्वामी पुत्र श्री खिराज दास स्वामी(मैनेजर व विक्रेता), वार्ड नं.-01 पुराने एस.डी.एम. कोर्ट के सामने अनूपगढ़।

मैसर्स-मुन्नीदास, भागीरथ वार्ड नं.-01 पुराने एस.डी.एम. कोर्ट के सामने अनूपगढ़।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(II), 51 FSSA Act 2006

-:निर्णय:- **दिनांक:-04.08.2025**

यह इस्तगासा **श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी** कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(II) व **धारा 51** के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है-

यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतराम दिनांक 22.10.2024 को समय 02:00 **पी. एम.** पर निरीक्षणार्थ **मैसर्स-मुन्नीदास, भागीरथ वार्ड नं.-01 पुराने एस.डी.एम. कोर्ट के सामने अनूपगढ़** पर निरीक्षण हेतु पहुंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर **श्री भरतदास स्वामी पुत्र श्री खिराज दास स्वामी(मैनेजर व विक्रेता)** को अपना परिचय देकर संस्थान पर रखे **मिल्क केक मिठाई** के बारे जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान में 10 स्टील ट्रे मे रखे लगभग 80 किलो **मिल्क केक मिठाई** के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता खाद्य पदार्थ **मिल्क केक मिठाई** को आमजन में बेचान वास्ते बताया। जिनमें मिलावट का शक होने पर **मिल्क केक मिठाई** नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नं.-5 ए भरकर देते हुए वयक्त की मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु 80 किलो उपलब्ध **मिल्क केक मिठाई** में से 2 किलो मिल्क केक मिठाई मालिक से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा मिल्क केक मिठाई का नगद भुगतान **720/-** रूपए किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है व मेरे भी हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **भरतदास** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म सं 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री भरतदास स्वामी पुत्र श्री खिराज दास स्वामी (मैनेजर व विक्रेता)** खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिल्क केक मिठाई** 2 किलोग्राम को बराबर भागो मे बांटकर 4 साफ सुथरे सूखे डिब्बो में लेकर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक फारमेलिन की 40-40 बूंद डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये व 4 डिब्बो पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी. ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के-2552** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के-2552** नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक

नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वय मैने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते मे लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता **भरत दास** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर मे सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमुना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतिया एव चौथा भाग मय फार्म स. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक FSSA/2024/ 1264-66 दिनांक** 19.11.2024 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मिल्क केक मिठाई** का नमूना **Substandard Food as extracted fat does not conform the standard of Ghee as prescribed in food safety and Standards (Food products standard and food additive) Regulations - 2011** होना पाया गया। भेजकर उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। जांच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्रांक एफएसएसए /2024/1264–66 दिनांक–19.11.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया परंतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने कोई आवेदन नही किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हेतराम ने अनुसंधान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात श्रीमान् अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 17.01.2025 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्त केस के समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक–एफएसएसए/2025/127–28 दिनांक 28.01.2025 द्वारा संस्थित करने हेतु प्राधिकृत किया है जो मूल न्यायके साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। तत्पश्चात अभिहित अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति पत्रांक–एफएसएसए/2025/ 665–66 दिनांक 16.05.2025 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अप्रार्थी के द्वारा **मिल्क केक मिठाई Substandard Food as extracted fat does not conform the standard of Ghee as prescribed in food safety and Standards (Food products standard and food additive)Regulations- 2011** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (I I) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **51 में निर्धारित है।** श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता/मालिक को एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा–31(2) की श्रेणी में आता है।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

प्रकरण दर्ज रजि. किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चुघ ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि मद सं.–01 रिकॉर्ड की विषयवस्तु है। मद सं.–2 जिस प्रकार से दर्ज की गई है अस्वीकार है तथा रिकॉर्ड की विषयवस्तु है इसके साथ यह भी दर्ज किया जाना उचित है कि हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी को केवल श्रीगंगानगर जिले के लिए नियुक्त किया गया था अनूपगढ़ जिले के लिए नहीं। दिनांक 22.10.2024 को अप्रार्थी से ना तो सैम्पल लिया गया और ना ही हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनूपगढ़ जिला क्षेत्र में सैम्पल लेने के लिए अधिकृत था। मद सं.–3 अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी द्वारा ना तो मिल्क केक मिठाई को बेचा गया और ना ही अप्रार्थी द्वारा 720/– रूपये नगद प्राप्त किये गये। मद सं.–4 अस्वीकार है। अप्रार्थी की संस्थान पर दिनांक 22.10.2024 को ना तो 5 ए की प्रतियॉ पर निष्पादन किया गया और ना ही कोई हस्ताक्षर लिए गए। मद सं.–11 अस्वीकार है। क्योंकि अप्रार्थी की संस्थान से ना तो मिल्क केक मिठाई को खरीदा गया है और ना ही कोई सैम्पल भरा गया है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र की कार्यवाही निरस्त फरमावी जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **मिल्क केक मिठाई** के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक L.S.1372/Act/2024/1372** दिनांक 30.10.2024 में खाद्य पदार्थ **मिल्क केक मिठाई एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51** का उल्लंघन करते हुए नमूना **के–2552 Sub-Standard** पाया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध मे जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल–भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(।।), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(।।), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **मिल्क केक मिठाई** हेतु **श्री भरतदास स्वामी पुत्र श्री खिराज दास स्वामी (मैनेजर व विक्रेता), वार्ड नं.–01 पुराने एस.डी.एम. कोर्ट के सामने अनूपगढ़** द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **मिल्क केक मिठाई Substandard Food as extracted fat does not conform the standard of Ghee as prescribed in food safety and Standards (Food products standard and food additive)Regulations- 2011** पाये जाने पर **1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये)** आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक–04.08.2025 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE ANUPGARH

(अशोक सांगवा) आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
अनूपगढ़